राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकः– एफ.6(690) स्टोर/मेडिसिन किट/आईसीडीएस/15–16/08631-664 जयपुर, दिनांकः 11.8.16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,राजस्थान,
समस्त।

विषय– आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु मेडिसिन किट की आपूर्ति के संबंध में।
प्रसंग–समसंख्यक आदेश क्रमांक 22876 दिनांक 24.02.2016 एवं पत्रांक 52328–360 दिनांक 27.04.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के संबंध में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में आंगनबाडी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाडी केन्द्रों को उपलब्ध कराये जाने वाले मेडिसिन किट बाबत् राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर को आपके कार्यालयों पर आपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया था। इस संबंध में निदेशालय द्वारा समसंख्यक पत्रांक 52328–360 दिनांक 27.04.2016 द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि अग्रिम आदेशो तक राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर से मेडिसन किट की आपूर्ति नहीं लेवे तथा आपूर्ति होने की स्थिति में आंगनबाड़ी केन्द्रो तक नहीं भेजकर उपयोग नहीं किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में उक्तानुसार दिये गये आदेश के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा आपूर्ति किये गये मेडिसन किट को पूर्व में दिये गये आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अविलम्ब भिजवाते हुये मेडिसन किट के उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ.समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकः– एफ.6(690) स्टोर/मेडिसिन किट/आईसीडीएस/15–16/ जयपुर, दिनांक :
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(रामावतार मीना)
प्रभारी अधिकारी (भण्डार)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान,जयपुर।